

फर्द अहकाम  
(नियम-26)

2018/00415

न्याय आफके द्वार 2018  
रायसिंहनगर

अज अदालत

उप जिला कलक्टर

मुकाम

धर्मपाल-शेरशाह-कमीचा बनाम

खता

196

मुकदमा नं.

28/6/18

किस्म मुकदमा

दुरुस्ती

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो  
इस हुक्म की  
तामील  
में जारी हुए

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

28/6/18

आज यह पत्रावली तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर के पत्र क्रमांक/18/503 दिनांक 28/6/18 के द्वारा राजस्व लोक अदालत "न्याय आप के द्वार-2018" कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत कलमा में प्रार्थीगण के नाम चक 36PS की जमाबन्दी सम्वत् 2070/13 के खाता नं. 107 में खातेदार धर्मपाल-भाता सावित्री 40 शेरशाह कोटे जयवाट ला-135D अंकित है। जिसका निष्काती कमीचा है। जिसकी धर्मपाल-भाता सावित्री 40 शेरशाह ला-135D के खाता पर कमीचा की दुरुस्ती की जाने की अभिशंषा की है।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार(भू.अ.) रायसिंहनगर की रिपोर्ट दिनांक 28/6/18 की पृष्टि मजमआम में उपस्थित ग्राम वारिसान व सरपंच ने की है। उक्त विवेचन के आधार पर वाके चक 36PS के खाता नं. 107 में दर्ज खातेदार धर्मपाल-भाता सावित्री 40 शेरशाह ला-135D के खाता पर कमीचा

दुरुस्ती की जाती है। बाकी अंकन बदस्तुर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार के नाम जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश खुले मजमआम में सुनाया गया।

उप जिला कलक्टर

न्याय आफके द्वार 2018

कैम्प कोर्ट

कमीचा

सम्बन्धित अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर